अनुमोदन हेतु प्रारूप

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

आदेश

Type Section
कृपया
सुजीत
14.05.18

7
14/5/18

का०आ०सं०–प्र०–07 / कालीकरण–02 / 2016– 3286 (E) / पटना, दिनांक 15/5/18

राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, जयनगर अन्तर्गत राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या–105 के कि०मी० 0.00 से 28.00 तक चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य (एकरारनामा सं0–02SBD / 2011–12) एवं राष्ट्रीय उच्च पथ सं0–105 के कि0मी0 28.00 से 53.76 तक चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य (एकरारनामा सं0–04SBD / 2011–12) के लिए संवेदक गंगोत्री इन्टरप्राईजेज लिमिटेड, बी–158, सेक्टर–ए महानगर, लखनऊ–06, उत्तरप्रदेश के साथ एकरारनामा किया गया, जिसके लिए एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि क्रमशः दिनांक–20.05.2011 एवं 22.08.2011 तथा कार्य समाप्ति की तिथि क्रमशः दिनांक–19.05.2013 एवं 21.08.2013 था।

2. उपर्युक्त दोनो कार्यो के लिये प्रथम समयवृद्धि क्रमशः दिनांक–30.06.2014 एवं 31.12.2014 तथा द्वितीय समयवृद्धि क्रमशः दिनांक–30.06.2015 एवं 30.06.2015 तक प्रदान किया गया। द्वितीय समयवृद्धि प्रदान करने के बावजूद भी संवेदक द्वारा कार्य में अभिरूची नहीं लेने के कारण कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमण्डल, जयनगर के ज्ञापांक–573 दिनांक–26.05.2015 एवं ज्ञापांक–574 दिनांक–26.05.2015 के द्वारा N.H. SBD की कंडिका–59.1 के आलोक में Contract को Fundamental Breach मानते हुए एकरारनामा को विखंडित कर दिया गया।

पृ० 287-283/प०
पृ० 244-240/प०

3. एकरारनामा विखंडित होने के उपरान्त अधीक्षण अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ अंचल, दरभंगा के द्वारा अपने पत्रांक–153 दिनांक–26.04.2016 द्वारा संवेदक पर कार्रवाई किये जाने की अनुशंसा मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग, पटना से किया गया। अधीक्षण अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ अंचल, दरभंगा के पत्रांक–153 दिनांक 26.04.2016 के द्वारा संवेदक पर कार्रवाई किये जाने की अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक–187 (ई०) दिनांक 16.01.2017 के द्वारा संवेदक से स्पष्टीकरण की मांग की गयी, पुनः मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग, बिहार, पटना के द्वारा अपने पत्रांक–310 अनु0 दिनांक–02.02.2017 के माध्यम से अनुशंसा प्राप्त होने के उपरान्त विभागीय पत्रांक– 896 (ई0) दिनांक–20.03.2017 के द्वारा संवेदक से स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसके अनुपालन में संवेदक के द्वारा अपने पत्रांक–GEL/NH/BIHAR/CE/R-1/2017/02 दिनांक–01.03.2017 के द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। प्राप्त स्पष्टीकरण पर बिन्दुबार प्रतिवेदन प्राप्त करने हेतु विभागीय पत्रांक–1885 (ई0) दिनांक–11.04.2017, पत्रांक–2213 (ई0) दिनांक–03.05. 2017 एवं पत्रांक–3275 (ई0) दिनांक–30.06.2017 द्वारा संबंधित कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया गया। कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमण्डल, जयनगर ने अपने पत्रांक–635 अनु0 दिनांक–01.08.2017 के द्वारा अपना बिन्दुवार प्रतिवेदन मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग, बिहार, पटना को प्रेषित करते हुये उसकी प्रति विभाग को उपलब्ध कराया गया। मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग, बिहार, पटना के द्वारा अपने पत्रांक–3964 (अनु0) दिनांक–06.12.2017 के द्वारा वांछित प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया।

पृ० 03/प०
पृ० 03/प०
पृ० 166/प०
पृ० 300-240/प०
पृ० 302/प०
पृ० 330-304/प०
पृ० 331/प०
पृ० 573/प०
पृ० 344/प०
पृ० 749-580/प०
पृ० 929-757/प०

कृ०पृ०उ०

4. उपर वर्णित तथ्यों के आलोक में मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग से प्राप्त प्रतिवेदन एवं संवेदक से प्राप्त स्पष्टीकरण पर सम्यक विचारोपरान्त संवेदक का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

अतः बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के कंडिका–11 (क) (ii) एवं विभागीय कार्यालय आदेश सं0–154 सहपठित ज्ञापांक–5403 (एस) दिनांक–18.06.2015 के कंडिका–8 (1) (a) में निहित प्रावधानों के आलोक में संवेदक गंगोत्री इन्टरप्राईजेज लिमिटेड, बी–158, सेक्टर–ए महानगर, लखनऊ–06, उत्तरप्रदेश ~~(नि०सं०–अ०प्र०/श्रेणी–1 (प्रथम)–222/2008 पथ)~~ को दस वर्षो के लिए कालीकृत किया जाता है।

14/5/18

(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक– प्र०–07/कालीकरण–02/2016– 3286 (E)/पटना, दिनांक 15/5/18

प्रतिलिपि :– गंगोत्री इन्टरप्राईजेज लिमिटेड, बी–158, सेक्टर–ए महानगर, लखनऊ–06, उत्तरप्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/5/18

(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक– प्र०–07/कालीकरण–02/2016 3286 (E) /पटना, दिनांक 15/5/18

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव/आयुक्त एवं सचिव/सचिव, प०नि०वि०/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/ जल संसाधन विभाग/ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ ऊर्जा विभाग/नगर विकास विभाग, बिहार, पटना/ बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/5/18

(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक– प्र०–07/कालीकरण–02/2016– 3286 (E) /पटना, दिनांक 15/5/18

प्रतिलिपि :– सभी मुख्य अभियंता, (रा०उ०पथ उपभाग सहित)/सभी अधीक्षण अभियंता (रा०उ०प० अंचल सहित)/सभी कार्यपालक अभियंता (रा०उ०पथ प्रमंडल सहित), पथ निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/5/18

(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक– प्र०–07/कालीकरण–02/2016– 3286 (E) /पटना, दिनांक 15/5/18

प्रतिलिपि :– अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, पटना/कार्यपालक अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय Website पर अपलोड करने हेतु सी०डी० सहित प्रेषित।

14/5/18

(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

Sujit
D:\NEHA SINHA\2012 KA NEW FOLDER\SUNIL\BLACKLISTING\GANGOTRI ENTERPRISES.DOCX